जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांकः जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी.एण्ड पी.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 2033 दि. 20.10.09

आदेश

विषय: कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" में पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/499 दिनांक 09.06.09, क्रमांक वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/505 दिनांक 01.09.09 एवं क्रमांक वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/507 दिनांक 18.09.09 में आंशिक संशोधन।

निगम के आदेश क्रमांक 690 दिनांक 09.06.09 (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/499) द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा देने के उद्देश्य से, "स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना" लागू की थी। तत्पचात आदेश क्रमांक 1567 दिनांक 01.09.09 (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/505) एवं क्रमांक 1799 दिनांक 18.09.09 (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/507) द्वारा उक्त आदेश (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/499) में आशिंक संशोधन किये गये थे। यह योजना वर्तमान में सभी कृषि उपभोक्ताओं के लिये 31 अक्टूबर, 2009 तक लागू है।

इस विषय में यह पाया गया कि इस योजना की अवधि में ही, निगम के चेकिंग अधिकारियों द्वारा विद्युत लोड चैकिंग की जाकर विद्युत लोड में अनाधिकृत वृद्धि (Unathoriesed increase in sanctioned connected load) का मामला बनाकर पैनेल्टी राशि वसूल की जा रही है। इस मामले पर "वितरण समन्वय (DCF) मंच" में विचार विमर्श किया गया एवं "अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक", वितरण निगम के निर्देशानुसार आदेश क्रमांक (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/505) के बिन्दु संख्या– (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित (substitute), किया जाता है:–

(i) वर्तमान में स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना को उन कृषि उपभोक्ताओं को प्रदान करनी है जिनके कनेक्शनों को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है, उनसे यदि विद्युत लोड की चैकिंग के दौरान भी लोड बढा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनेल्टी राशि नही ली जाकर मात्र धरोहर राशि जमा करवाकर लोड नियमित किया जावे।

यह संशोधन पूर्व में जारी आदेशों में आशिंक संशोधन कर जारी किये जा रहे है। योजना पूर्व निर्धारित अवधि अर्थात 31 अक्टूबर, 2009 तक लागू रहेगी।

आज्ञा से

(एम.एल.त्रिपाठी)
उप मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvnl.com/www.rajenergy.com पर भी उपलब्ध है।

C:\Coml\A\ORDER521.doc